

Amity University

Uttar Pradesh

Savita Mehta
Vice President, Communications

Amity University Campus
Block E-II, 2nd Floor
Sector – 125, Noida
Ph: 0120 - 4392620
Fax: 0120-4392622

प्रेस विज्ञापित
अक्टूबर 06,2016

सिम्बिओसिस लॉ कॉलेज पूणे ने जीती राष्ट्रीय अपराधिक कानून पर आधारित त्रिदिवसीय हिंदी मूट कोर्ट प्रतियोगिता एमिटी विश्वविद्यालय में प्रथम हिंदी मूट कोर्ट का समापन

एमिटी लॉ स्कूल सेंटर टू द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अपराधिक कानून आधारित त्रिदिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आज एमिटी विश्वविद्यालय, सैक्टर 125 नोएडा में समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस समापन समारोह में रक्षा मंत्रालय के उप निदेशक श्री अमन राजपूत, टीवी टूडै नेटवर्क लिमिटेड (आज तक) के संपादक श्री शमशीर ताहिर खान, बिहार के संसद के सदस्य(राज्य सभा) श्री के सी त्यागी, भारत के उच्चतम न्यायालय के जज श्री जस्टिस वी गोपाल गौड़ा, एमिटी लॉ स्कूल के एक्टींग चेयरमैन डा डी के बंदोपाध्याय, एमिटी लॉ स्कूल सेंटर टू के एडिशनल निदेशक डा आदित्य तोमर, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के भूतपूर्व अध्यक्ष आर एस गोस्वामी ने पारम्परिक दीप जलाकर किया।

एमिटी लॉ स्कूल सेंटर टू द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता को सिम्बिओसिस लॉ स्कूल पूर्ण ने जीता। विजेता टीम को 12,000रु का नकद इनाम एवं ट्रॉफी मिली। बेस्ट मेमोरियल का पुरस्कार सिम्बिओसिस पूणे को मिला। इस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों जैसे नेशनल लॉ विश्वविद्यालय उड़ीसा, लखनऊ विश्वविद्यालय, के

आईआईटी विश्वविद्यालय भुनेश्वर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ विश्वविद्यालय जोधपुर के 30 छात्रों ने हिस्सा लिया।

बिहार के संसद के सदस्य(राज्य सभा) श्री के सी त्यागी ने संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी भाषा हमारे देश का समान है। सभी कोर्ट में कार्यवाही के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए। गरीब एवं किसान के साथ यह अन्याय होता है कि उसके सामने केस में अंग्रजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। देश में ऐसे कई कोर्ट हैं जहां जर्ज के लिए कमरों तक की कमी होती है। अंग्रजी भाषा एवं अन्य भाषा को भी समाने देना चाहिए साथ ही नजर अंदाज भी नहीं करना चाहिए पर यह जरूरी है कि साथ ही अपनी भाषा को भी अहम स्थान देना जरूरी है। उन्होंने छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु कहा कि अंग्रेजी में काम न होगा अब फिर देश गुलाम न होगा।

रक्षा मंत्रालय के उप निदेशक श्री अमन राजपूत ने कहा कि जर्ज बना देश की सेवा करने के बराबर काम है। कानून एवं कुम्हार दोनों एक प्रकार का काम करते हैं। जिस प्रकार कुम्हार अपनी कला को बनाने के लिए मिट्टी का दबाता है उसी प्रकार कानून भी देश को सही प्रकार से चलाने के लिए सख्त कानून भी बनाता है। जर्ज बना एक ऐसा कार्य है कि पूरे देश को एक साथ करने की जिम्मेदारी भी जर्ज की होती है। अपने आप में विश्वास रखो। इस प्रकार के मूट कोर्ट का हिस्सा बनना आप सभी छात्रों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। भावी वकीलों न सिर्फ अपने देश के अपराधिक कानूनों का गहराई से ज्ञान होना चाहिए अपितु अंतराष्ट्रीय मानवीय कानून एवं शरणार्थी कानून की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वकील जादूगर नहीं होता तथा वह केवल तथ्यों व सबूतों के आधार पर ही केस लड़ सकता है। न्याय प्रदान करने का काम अनेक लोगों पर आधारित होता है जिनमें वकील, जज भी शामिल होते हैं। हम सब के भीतर एक जज बैठा है। अगर आप के अंदर सच व झूठ को समझने की क्षमता है तो आप की अंतःआत्मा एक सच्चे जज की तरह है।

भारत के उच्चतम न्यायालय के जज श्री जस्टीस वी गोपाल गौड़ा ने कहा कि लॉ के पेशे से आप देश को प्रस्तुत करते हैं। मुझे यह देखते हुए खुशी हो रही है कि आप में से अधिकतम बच्चों लड़कियां हैं यह बात यह दिखाती है कि देश में भेदभाव खत्म होते जा रहा है। आप पर यह जिम्मेदारी होती है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा कि जा सके। जिनता एमिटी आप को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है उतना किसी विश्वविद्यालय में व्यावहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। व्यावहारिक ज्ञान इस क्षेत्र के लिए अहम है।

एमिटी लॉ स्कूल सेंटर टू के एडिशनल निदेशक डा आदित्य तोमर ने कहा कि मूट कोर्ट प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों को अदालतों में चल रही कार्यवाही का ज्ञान होता है तथा किस प्रकार मामले को कोर्ट में रखते हैं तथा उसमें जिरह करते हैं व तर्कों से अपनी बात रखते हैं इन सब बातों का भी ज्ञान मिलता है। अपराधी अपराध एक देश में करता है और दूसरे देश में जाते हैं। ऐसे में दूसरे देशों के कानूनों का भी ज्ञान होना आवश्यक है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आकाक्षा सहगल 9582329471